



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, सोमवार, 6 जून, 2022

ज्येष्ठ 16, 1944 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या 494/वि०स०/संसदीय/73(सं)-2022

लखनऊ, 28 मई, 2022

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 28 मई, 2022 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 का अग्रतर संशोधन करने के लिये
विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, संक्षिप्त नाम और
2022 कहा जायेगा। प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 8 जनवरी, 2022 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019 की अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में, क्रम संख्या 15 पर, क्रम संख्या 15 की प्रविष्टियां निकाल दी जायेंगी और उक्त अनुसूचियां तदनुसार पुनः संख्यांकित की जायेंगी :

परन्तु यह कि उक्त संशोधन यू0जी0सी0 (समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान) विनियम, 2017 के अधीन पूर्वोक्त अनुसूचियों में क्रम संख्या 15 पर "समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान" के रूप में सूचीबद्ध विश्वविद्यालय की अधिसूचना के दिनांक से प्रवृत्त होगा।

निरसन और व्यावृत्ति 3-(1) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2022 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2022

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च शिक्षा प्रदान करने के निमित्त उत्तर प्रदेश राज्य में नये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने और विद्यमान निजी विश्वविद्यालयों को निगमित करने तथा उनके कृत्यों को विनियमित करने एवं उनसे सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों हेतु उपबन्ध करने के लिए उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019) अधिनियमित किया गया है।

तीस निजी विश्वविद्यालय, पूर्वोक्त अधिनियम की अनुसूची 1 और 2 में सम्मिलित है। यू0जी0सी0 (समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान) विनियम, 2017 में किसी निजी विश्वविद्यालय को समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्था के रूप में घोषित करने का उपबंध है। उक्त उपबंध के आलोक में राज्य सरकार द्वारा उक्त विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों को हटाकर पूर्वोक्त अनुसूचियों में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया ताकि पूर्वोक्त विश्वविद्यालय को उक्त प्रास्थिति प्रदान किया जा सके।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करनी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 8 जनवरी, 2022 को उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2022 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2022) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

योगेन्द्र उपाध्याय
मंत्री,
उच्च शिक्षा।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 द्वारा संशोधित की जाने वाली मूल अधिनियम की संगत अनुसूचियों का विवरण।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019

अनुसूची-1

क्र०	अधिनियम का विवरण	विश्वविद्यालय का नाम
1-	इंटीग्रल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2004), अधिसूचना दिनांक 27.02.2004	इन्टीग्रल विश्वविद्यालय, लखनऊ।
2-	द एमिटी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2005 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2005), अधिसूचना दिनांक 24.3.2005	एमिटी विश्वविद्यालय, गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश।
3-	मंगलायतन विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2006), अधिसूचना दिनांक 30.10.2006	मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश।
4-	स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 2008), अधिसूचना दिनांक 05.9.2008	स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश।
5-	तीर्थकर महावीर विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 2008), अधिसूचना दिनांक 05.9.2008	तीर्थकर महावीर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।
6-	शारदा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2009), अधिसूचना दिनांक 24.3.2009	शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
7-	जी०एल०ए० विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 01.9.2010	जी०एल०ए० विश्वविद्यालय, मथुरा, उत्तर प्रदेश।
8-	इन्वर्टिस विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 01.9.2010	इन्वर्टिस विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश।
9-	मोनाड विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2010 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 12.10.2010	मोनाड विश्वविद्यालय, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
10-	नोएडा इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2010 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 12.10.2010	नोएडा इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटी, गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश।
11-	आई०एफ०टी०एम० विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2010 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 12.10.2010	आई०एफ०टी०एम० विश्वविद्यालय, ओंकार धाम लोधीपुर राजपूत, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
12-	श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2010 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 12.10.2010	श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय, गजरौला, जे०पी० नगर।
13-	बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2010 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 12.10.2010	बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

क्र०	अधिनियम का विवरण	विश्वविद्यालय का नाम
14-	गलगोटियाज विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2011), अधिसूचना दिनांक 07.4.2011	गलगोटियाज विश्वविद्यालय, गौतमबुद्धनगर।
15-	शिवनाडर विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2011), अधिसूचना दिनांक 21.6.2011	शिवनाडर विश्वविद्यालय, दादरी, गौतमबुद्धनगर।
16-	श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2012), अधिसूचना दिनांक 04.7.2012	श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय, बाराबंकी।
17-	मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2005 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 2006), अधिसूचना दिनांक 19.6.2006	मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर।
18-	द ग्लोकल यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 2012), अधिसूचना दिनांक 05.7.2012	द ग्लोकल यूनिवर्सिटी, अली अकबरपुर, सहारनपुर।
19-	रामा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2013 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2014), अधिसूचना दिनांक 10.01.2014	रामा विश्वविद्यालय, कानपुर।
20-	शोभित विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2012), अधिसूचना दिनांक 05.07.2012	शोभित विश्वविद्यालय गंगोह, सहारनपुर।
21-	जेपी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2014), अधिसूचना दिनांक 04.3.2014	जेपी विश्वविद्यालय, अनूपशहर, उत्तर प्रदेश।
22-	जे०एस० विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2015 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 2015), अधिसूचना दिनांक 24.6.2015	जे०एस० विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद।
23-	आई०आई०एम०टी० विश्वविद्यालय, मेरठ उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2016), अधिसूचना दिनांक 03.10.2016	आई०आई०एम०टी० विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश।
24-	बेनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2016), अधिसूचना दिनांक 16.9.2016	बेनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर
25-	बरेली इण्टरनेशनल विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 2016), अधिसूचना दिनांक 16.9.2016	बरेली इण्टरनेशनल विश्वविद्यालय, बरेली।
26-	संस्कृति विश्वविद्यालय, छाता, मथुरा उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 2016), अधिसूचना दिनांक 16.9.2016	संस्कृति विश्वविद्यालय, छाता, मथुरा।
27-	एरा विश्वविद्यालय, लखनऊ उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 2016), अधिसूचना दिनांक 16.9.2016	एरा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

अनुसूची-2
(धारा 7 देखें)

क्र०	अधिनियम का विवरण	विश्वविद्यालय का नाम
1-	इंटीग्रल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2004), अधिसूचना दिनांक 27.02.2004	इन्टीग्रल विश्वविद्यालय, लखनऊ।
2-	द एमिटी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2005 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2005), अधिसूचना दिनांक 24.3.2005	एमिटी विश्वविद्यालय, गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश।
3-	मंगलायतन विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2006), अधिसूचना दिनांक 30.10.2006	मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश।
4-	स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 2008), अधिसूचना दिनांक 05.9.2008	स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश।
5-	तीर्थकर महावीर विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 2008), अधिसूचना दिनांक 05.9.2008	तीर्थकर महावीर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।
6-	शारदा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2009), अधिसूचना दिनांक 24.3.2009	शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
7-	जी०एल०ए० विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 01.9.2010	जी०एल०ए० विश्वविद्यालय, मथुरा, उत्तर प्रदेश।
8-	इन्वर्टिस विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 01.9.2010	इन्वर्टिस विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश।
9-	मोनाड़ विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2010 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 12.10.2010	मोनाड़ विश्वविद्यालय, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
10-	नोएडा इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2010 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 12.10.2010	नोएडा इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटी, गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश।
11-	आई०एफ०टी०एम० विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2010 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 12.10.2010	आई०एफ०टी०एम० विश्वविद्यालय, ओंकार धाम लोधीपुर राजपूत, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
12-	श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2010 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 12.10.2010	श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय, गजरौला, जे०पी० नगर।
13-	बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2010 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 12.10.2010	बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

क्र0	अधिनियम का विवरण	विश्वविद्यालय का नाम
14-	गलगोटियाज विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2011), अधिसूचना दिनांक 07.4.2011	गलगोटियाज विश्वविद्यालय, गौतमबुद्धनगर।
15-	शिवनाडर विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2011), अधिसूचना दिनांक 21.6.2011	शिवनाडर विश्वविद्यालय, दादरी, गौतमबुद्धनगर।
16-	श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2012), अधिसूचना दिनांक 04.7.2012	श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय, बाराबंकी।
17-	मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2005 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 2006), अधिसूचना दिनांक 19.6.2006	मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर।
18-	द ग्लोकल यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 2012), अधिसूचना दिनांक 05.7.2012	द ग्लोकल यूनिवर्सिटी, अली अकबरपुर, सहारनपुर।
19-	रामा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2013 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2014), अधिसूचना दिनांक 10.01.2014	रामा विश्वविद्यालय, कानपुर।
20-	शोभित विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2012), अधिसूचना दिनांक 05.07.2012	शोभित विश्वविद्यालय गंगोह, सहारनपुर।
21-	जेपी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2014), अधिसूचना दिनांक 04.3.2014	जेपी विश्वविद्यालय, अनूपशहर, उत्तर प्रदेश।
22-	जे0एस0 विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2015 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 2015), अधिसूचना दिनांक 24.6.2015	जे0एस0 विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद।
23-	आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2016), अधिसूचना दिनांक 03.10.2016	आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश।
24-	बेनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2016), अधिसूचना दिनांक 16.9.2016	बेनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर
25-	बरेली इण्टरनेशनल विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 2016), अधिसूचना दिनांक 16.9.2016	बरेली इण्टरनेशनल विश्वविद्यालय, बरेली।
26-	संस्कृति विश्वविद्यालय, छाता, मथुरा उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 2016), अधिसूचना दिनांक 16.9.2016	संस्कृति विश्वविद्यालय, छाता, मथुरा।
27-	एरा विश्वविद्यालय, लखनऊ उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 2016), अधिसूचना दिनांक 16.9.2016	एरा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

क्र० सं०	विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक निकाय का नाम
28-	यूनाईटेड विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश	शिवराम दास गुलाटी मेमोरियल ट्रस्ट, प्रयागराज।
29-	एफ० एस० विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश	फूलन सिंह जन कल्याण ट्रस्ट, सीतानगर, नगलाभाऊ, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश।
30-	महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय समिति, श्री गोरखनाथ मंदिर परिसर, गोरखनाथ, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 334/XC-S-1-17-S-2022
Dated Lucknow, June 6, 2022

NOTIFICATION
MISCELLANEOUS

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Niji Vishvavidyalaya (Dviteeya Sanshodhan) Vidheyak, 2022 introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on May 28, 2022.

THE UTTAR PRADESH PRIVATE UNIVERSITIES (SECOND AMENDMENT)
BILL, 2022

A

BILL

further to amend the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy third Year of the Republic of India as follows :-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Private Universities (Second Amendment) Act, 2022. Short title and commencement

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from January 8, 2022.

Amendment of Schedule 1 and Schedule 2 of U.P. Act no. 12 of 2019

2. At serial no. 15 in Schedule 1 and Schedule 2 of the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019, the entries at serial no. 15, shall be deleted and the said Schedule shall be renumbered accordingly :

Provided that the said amendment shall come into effect from the date of notification of the University Scheduled at serial no. 15 in the aforesaid Schedules as 'Institution of Eminence Deemed to be University' under UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017.

Repeal and saving

3. (1) The Uttar Pradesh Private Universities (Amendment) Ordinance, 2022 is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 4 of 2022

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (U.P. Act no. 12 of 2019) has been enacted to provide for establishment of new Private Universities and incorporation of existing private Universities in the State of Uttar Pradesh for imparting higher education in the State of Uttar Pradesh and to regulate their functions and for matters connected therewith or incidental thereto.

Thirty private Universities are included in Schedule 1 and 2 of the aforesaid Act. UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017 provides for a private Universities to be declared as institution of eminence deemed to be Universities. In the light of the aforesaid provision, it was decided by the State Government to amend the aforesaid Schedules by deleting the entries related to the said University so that the aforesaid status can be conferred on the aforesaid University .

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Private Universities (Amendment) Ordinance, 2022 (U.P. Ordinance no. 4 of 2022) was promulgated by the Governor on January 08, 2022.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

YOGENDRA UPADHYAY

Mantri,

Uchcha Shiksha .

By order,

J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.